




LABOUR DEPARTMENT HARYANA



Home About ▾ Labour laws Duties And Functions ▾ RTS BRAP ▾ E-Services ▾ Miscellaneous ▾ SO

» Scheme Detail / इस योजना का विस्तार

Home (मुख पृष्ठ) > Scheme detail (इस योजना का विस्तार)

विधवा पेंशन



Objective of the Scheme / इस योजना का उद्देश्य

पंजीकृत श्रमिक की विधवा को 3,000/-रूपये प्रति माह विधवा पेंशन के रूप में दिये जाते है।

विधवा पेंशन निम्नलिखित शर्तों में लागू नहीं होगी:-

1. यदि विधवा हरियाणा सरकार/बोर्ड/कॉरपोरेशन या पीएसयू द्वारा नियोजित की जाती है।
2. विधवा के पुनर्विवाह के मामले में।
3. यदि विधवा को किसी अन्य सरकार/विभाग/बोर्ड/निगम/पीएसयू से समान लाभ मिल रहा है।
4. विधवा हरियाणा राज्य में नहीं रह रही है।
5. पहचान-पत्र की सत्यापित कम्पलीट प्रति जिसमें अंशदान जमा होने का विवरण हो, संलग्न करनी होगी।

Eligibility / पात्रता

- Membership Years / सदस्यता वर्ष : 1
- Apply Frequency / आवेदन की सीमा : 1
- Scheme For / इस योजना के लिए : Female
- Continue After Death / मृत्यु के बाद जारी : No

Benefits / लाभ

Rs.3000

Process / प्रक्रिया

Work Slip / काम पर्ची

[Download Work Slip](#)

Other Schemes / अन्य योजनाएं

- » पंजीकृत निर्माण कर्मकार क इलेक्ट्रिक स्कूटर की खरीद प्रोत्साहन
- » कोचिंग कक्षाओं के लिए वि
- » व्यवसायिक/तकनीकी संस्थाना म हास्टल सुविधा हेतु वित्तीय सहायता
- » विधवा पेंशन
- » कामगारों के मेधावी बच्चों (छात्रों) के लि प्रोत्साहन राशी(10वीं और 12वीं)
- » प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता
- » शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता (नियम 6)
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (शादी के तीन दिन पूर्व)(नियम 61)
- » मातृत्व लाभ (नियम 50)
- » पितृत्व लाभ (धारा 22(1)(h))
- » औजार (टूल किट) खरीदने हेतु उपदान (नियम 55)
- » मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना (धारा 22(1)(h))
- » सिलाई मशीन योजना (धारा 22(1)(h))
- » साईकिल योजना (धारा 22(1)(h))
- » कन्यादान योजना (धारा 22(1)(h))
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (नियम 61)
- » बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपु (नियम 61)
- » पैतृक घर जाने पर किराया (धारा 22(1))
- » मुफ्त भ्रमण सुविधा (धारा 22(1)(h))
- » अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता (धारा 22(1)(h))
- » अपंगता सहायता (नियम 59)
- » अपंगता पेंशन (नियम 54)
- » चिकित्सा सहायता(मजदूरी क्षतिपूर्ति) (नि 59)
- » घातक बीमारियों के ईलाज के लिए वित्ति सहायता (धारा 22(1)(h))
- » मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण (निय 53)
- » पेंशन की योजना (नियम 51)
- » परिवारिक पेंशन (नियम 62)
- » मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना (निय 57)
- » मृत्यु सहायता (नियम 57)
- » दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता (निय 56)